

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/4145 /

जबलपुर, दिनांक 07/08/2018

कुमारी आस्था सेन, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के "नीलकण्ठ दिशि" महाविद्यालय बल्देवबाग, जबलपुर से एलएल.बी त्रि-वर्षीय (3: सेमेस्टर) पाठ्यक्रम एवं परीक्षा में नियमित छात्रा के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्न कित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपयोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, दिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपयोग नहीं करेंगे।
2. कार्यलयीन समय में शसकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यलयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह ज्ञात गया कि वे शसकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/4146 /

जबलपुर, दिनांक 07/08/2018

सूचनाएँ :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. ज्वर्डेट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कुमारी आस्था सेन, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(यू. एस. दुबे)  
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.  
Ran